I/439789/2023

प्रेषक,

अमृत अभिजात,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

नगर निकाय निदेशालय,

उ0प्र0, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 05 ~~नवम्बर~~ दिसम्बर, 2023

विषयः उ0प्र0 लोक सेवाओं में दिव्यांगजन को समूह-क,ख,ग एवं घ में 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु दिव्यांगजन सशक्तिकरण अनुभाग-3 के शासनादेश दिनांक 30.07.2021 को अंगीकृत (Adopt) किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-2/1144/77 रिटया06330/2023, दिनांक 09.10.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 लोक सेवाओं में दिव्यांगजन को समूह-क,ख,ग एवं घ में 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु दिव्यांगजन सशक्तिकरण अनुभाग-3 के शासनादेश दिनांक 30.07.2021 को अंगीकृत (Adopt) किये जाने के संबंध में अपेक्षा की गयी है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया दिव्यांगजन सशक्तिकरण अनुभाग-3 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-3/2021/324/2021/75-2021-78/99 टीसी, दिनांक 30.07.2021 के क्रमांक-27 पर नगर विकास विभाग के अन्तर्गत उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) सेवा के समूह-क, ख, ग एवं घ के चिन्हांकित पदों पर उ0प्र0 लोक सेवाओं में दिव्यांगजन को 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित किये जाने हेतु उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1966 यथासंशोधित के नियम-47 के अधीन अंगीकृत (Adopt) किये जाने का निर्णय लिया गया है।

भवदीय,

Digitally Signed by अमृत अभिजात
Date: 04-12-2023 13:16:35
Reason: Approved

(अमृत अभिजात)

प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

2- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।

3- समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत द्वारा निदेशक, नगर निकाय, उ0प्र0।

4- दिव्यांगजन सशक्तिकरण अनुभाग-3

5- नगर विकास के समस्त अनुभाग।

6- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(मो0 वासिफ)

अनु सचिव।